95/3/15

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ~~उपखण्ड अधिकारी~~ डूंगला मुकाम उपखण्ड अधिकारी डूंगला

बनाम

मुकदमा नं. सन

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के तहत प्रस्तुत किया गया जिसको बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार डूंगला को पाबन्द करने आने से विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार डूंगला से जवाब प्राप्त किया गया। तहसीलदार डूंगला ने अपने पत्र क्रमांक /राजस्व/2023/ 5.41 दिनांक 22.11.23 को जवाब प्रेषित किया गया जो संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार डूंगला ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट मे वर्णित आराजी नम्बर 1557/569 रकबा 0.5100 हे. भूमि प्रार्थी हेमराज पिता रूपा रावत के नाम दर्ज रेकार्ड है। तथा प्रार्थी को मिसल नम्बर 667/2001 दिनांक 29.11.2001 को मूल आराजी नम्बर 569 बिलानाम भूमि मे से 4 बीघा भूमि भूमि का आवंटन हुआ है जिसका वर्तमान आराजी नम्बर 1557/569 रकबा 0.5100 हे. भूमि है जिसकी तरमीम राजस्व नक्शे में हो रही है जो सही है। जबकि प्रार्थी मौके पर ग्राम किशनकरेरी की आराजी नम्बर 565 मे काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा मौके पर कुआ एवं पत्थर पोश मकान का निर्माण कर रखा है। प्रार्थी आवंटित भूमि पर काबिज काश्त नहीं होकर ग्राम किशनकरेरी की चरागाह आराजी नम्बर 565 मे काबिज काश्त होने से चरागाह भूमि में तरमीम शुद्धि चाही गई गई है कि रिपोर्ट प्राप्त हुई है जो संलग्न पत्रावली है। इस पर पत्रावली का एवं राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पश्चात पाया गया कि प्रार्थी को जिस आराजी नम्बर 569 (मूल) जिसके वर्तमान [illegible] रकबा 0.5100 हे भूमि है जो प्र[illegible] दर्ज	

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2024.09.30 16:28:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner